

काउन्सेलिंग सूचना

डी0एल0एड0 सत्र 2020-22 में विज्ञान एवं कला/वाणिज्य विषय के 100 (विज्ञान-50, कला-50) सीटों के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय मेधा सूची के आलोक में नामांकन के उपरांत विभिन्न कोटि के रिक्त सीटों को खुली काउन्सेलिंग के माध्यम से भरा जाना है। विभिन्न कोटि के रिक्त सीट तथा कटऑफ अंक का विवरण निम्न है।

विज्ञान

कोटि	रिक्ति	कटऑफ अंक	के सभी अभ्यर्थी
सामान्य (UR) -	06	76.1% से 81.05% तक	" "
सामान्य (महिला) (URF)-	02	74% से 77.1% तक	" "
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)-	01	72.2% से 75.1% तक	" "
पिछडा वर्ग की महिला (BCF)-	01	72.7% से 76.95% तक	" "
अत्यंत पिछडा वर्ग महिला (EBCF)-	01	71.6% से 75.4% तक	" "
आरक्षित महिला(RF) -	01	70.8% से 76.8% तक	(SC/ST/EBC/BC) कोटि की महिलाएं
अनुसूचित जाति(SC) -	01	72.1% से 74% तक	" "


13


कला/वाणिज्य

कोटि	रिक्ति	कटऑफ अंक	के सभी अभ्यर्थी
सामान्य (UR) -	04	73% से 75.3% तक	" "
उर्दू	01	75% से 76.75% तक	" "
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)-	01	71.6% से 74.5% तक	" "
पिछडा वर्ग की महिला (BC)-	02	70.93% से 74.9% तक	" "
पिछडा वर्ग की महिला (BCF)-	01	69.8% से 74.8% तक	" "
अत्यंत पिछडा वर्ग महिला (EBCF)-	01	69.8% से 72.55% तक	" "
आरक्षित महिला(RF) -	01	69.8% से 74.7% तक	(SC/ST/EBC/BC) कोटि की महिलाएं
अनुसूचित जाति(SC) -	02	68% से 71.6% तक	" "
अनुसूचित जाति(SCF) -	01	67% से 69.8% तक	" "

14

रिक्त सीट के 10 गुणा अभ्यर्थियों को काउन्सेलिंग हेतु बुलाया जाता है। उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोटिवार/ विषयवार पत्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का मेधा अंक अवरोही क्रम में सजाने पर जिसका मेधा अंक अधिक होगा उसी का नामांकन किया जायेगा। काउन्सेलिंग में वैसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जो संस्थान में नामांकन हेतु आवेदन किए हैं। काउन्सेलिंग की तिथि दिनांक 13.02.2021 को 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तथा दिनांक 15.02.21 को 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न है। तत्पश्चात 15.02.21 को ही अभ्यर्थी का चयन कर नामांकन शुल्क जामा कराना सुनिश्चित किया जाएगा तथा भुगतान रसीद के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दिनांक 13.02.2021 को काउन्सेलिंग में उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद भी दिनांक 15.02.2020 को भी अभ्यर्थी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 1 जनवरी 2020 को 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले तथा 21 जनवरी 2020 के बाद इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउन्सेलिंग में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोटिवार/विषयवार पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का मेधा अंक अवरोही क्रम सजाने पर जिसका मेधा अंक अधिक होगा उसका नामांकन किया जाएगा। दिनांक 13.02.2021 को काउन्सेलिंग कराने वाले अभ्यर्थी भी दिनांक 15.02.2021 को भी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। काउन्सेलिंग में निम्न लिखित मूल प्रमाण-पत्रों/दास्तवेजों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित होंगे।


12/02/21


12.02.2021



ठाकुर रामानन्दन सिंह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), शिवहर।

Website- www.dietsheohar.com

Gmail- dietsheohar@gmail.com


1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय, जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।(यदि लागू हो)
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
08. मत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
09. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशी किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
10. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)

नामांकन के समय अभ्यर्थी दिनांक 15.02.21 को उपर अंकित मूल प्रमाण पत्रों /दस्तवेज के अतिरिक्त निम्न प्रमाण पत्र देंगे।

11. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र।
12. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) एवं अनुसूचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/- (सात हजार रुपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा।
13. शपथ-पत्र (कार्यपालक दंडाधिकारी/नॉटरी पब्लिक) जिसमें इस आशय का अंकन होगा कि नामांकन के क्रम में उपस्थापित सभी प्रमाण-पत्र सही है। फर्जी होने पर नामांकन रद्द कर दिया जायेगा तथा कानूनी कार्रवाई हेतु जिम्मेवार स्वयंम् होंगे। किसी संस्थान में नामांकित तथा अध्ययनरत नहीं है।
14. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोट:-महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है। कॉउन्सेलिंग में भाग लेना नामांकन की गारंटी नहीं मानी जायेगी।


14/02/21


12-02-2021


12/02/2021

प्रभारी प्राचार्य
डायट, शिवहर।